अति तत्काल

समयबद्ध

फा.सं.18-1/2014-सी.सी.-अ.सा.

कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(वाणिज्यिक फसल प्रभाग)

****

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 11 दिसंबर, 2014

विषय: 2015 मौसम के लिए कोपरा की मूल्य नीति- 2015 मौसम के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) की घोषणा के संबंध में ।

भारत सरकार ने 2015 मौसम के लिए कोपरा की मूल्य नीति की घोषणा की है। तथा कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गये है:

i. 2015 मौसम के लिए मिलिंग कोपरा एवं बाल कोपरा के उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को 5550 रूपए प्रति क्विंटल तथा 5830 रूपए प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है।

ii. मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता किस्म के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर, कृषि एवं सहकारिता विभाग 2015 मौसम के लिए परिपक्व छिलके रहित नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करेगा।

iii. 2015 मौसम के लिए कोपरा के मूल्य समर्थन संचालनों का कार्य करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्लूसी), तथा लघू कृषक कृषि व्यवसाय संकाय (एसएफएसी) केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में काम करना जारी रखेंगे तथा ऐसे संचालनों में नोडल एजेन्सियों द्वारा हानि,यदि कोई हुई है तो उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से की जाएगी।

iv. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की गैर-मूल्य सिफारिशों (अनुबंध) पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा उचित कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाए।

2. उक्त निर्णयों के संबंध में मुझे, इस कार्यालय को सूचित करके उचित कार्रवाई करने के लिए आप से अनुरोध करने का निर्देश हुआ है।

एस. चन्द्रशेखर 11/12/14

(डॉ० एस. चंद्रशेखर)

सलाहकार

टेलीफैक्स: 23382244

सेवा में,

1. **श्री राज सिंह,**
   संयुक्त सचिव, (सहकारिता)
   कृषि एवं सहकारिता विभाग, कमरा संख्या 350,
   कृषि भवन, नई दिल्ली (सूचनार्थ एवं मद संख्या i, एवं iii, तथा गैर-मूल्य सिफारिशों पर अनुबंध की क्रम संख्या 1 एवं 2 के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई हेतु)।

2. श्री संजीव चोपड़ा,
संयुक्त सचिव, (राष्ट्रीय बागवानी मिशन)
कृषि एवं सहकारिता विभाग, कक्ष संख्या 225, कृषि भवन, नई दिल्ली (सूचनार्थ एवं मद संख्या ii तथा गैर मूल्य सिफारिशों पर अनुबंध के संबंधित भाग के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई हेतु)

3. श्रीमती आई रानी कुमुदिनी,
संयुक्त सचिव (व्यापार),
कृषि एवं सहकारिता विभाग,कक्ष संख्या 237, कृषि भवन, नई दिल्ली (सूचनार्थ एवं गैर मूल्य सिफारिशों पर अनुबंध के संबंधित भाग के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई हेतु)

4. श्री आशीष कुमार भूटानी,
संयुक्त सचिव (विपणन),
कृषि एवं सहकारिता विभाग,कक्ष संख्या 124, कृषि भवन, नई दिल्ली (सूचनार्थ एवं गैर मूल्य सिफारिशों पर अनुबंध के संबंधित भाग के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई हेतु)

5. अध्यक्ष,
नारियल विकास बोर्ड,
कोच्ची, केरल -682011(सूचनार्थ एवं गैर मूल्य सिफारिशों पर अनुबंध के संबंधित भाग के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई हेतु)

6. डॉ० एस. अय्यप्पन,
सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा आईसीएआर
कृषि भवन, नई दिल्ली(सूचनार्थ एवं गैर मूल्य सिफारिशों पर अनुबंध के संबंधित भाग के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई हेतु)

7. श्री राजीव खेर,
सचिव, वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
कमरा सं. 143, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110107
(सूचनार्थ एवं गैर मूल्य सिफारिशों पर अनुबंध के संबंधित भाग के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई हेतु)

8. श्री शिराज हुसैन,
सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग,
नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ:

1. श्री राजीव महर्षि,
   सचिव, आर्थिक मामले,
   आर्थिक मामले विभाग,
   वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
   130, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

2. श्री रतन पी वाटल,
   सचिव, व्यय,
   वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
   129-ए, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

3. श्रीमती सिंधु श्री खुल्लर,
   सचिव, योजना आयोग,
   योजना भवन, नई दिल्ली

4. श्री सुधीर कुमार,
   सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
   भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली,

5. श्रीमती अनु गर्ग
   संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय,
   साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

6. श्री केशव देशीराजू,
   सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग,
   उपभोक्ता मामले मंत्रालय
   49,कृषि भवन,नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. श्री आई.वाई.आर. कृष्णा राव,
   मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार,
   सी-ब्लॉक, फ्लोर-3, कमरा सं. 305, सचिव कार्यालय, हैदराबाद-500002,

2. श्री माहेन वर्गीस चुंकंथ,
   मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार, सचिवालय, चेन्नै -600009,

3. श्री कौशिक मुखर्जी,
मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार,
कमरा सं. 320, तीसरी मंजिल, विधान सौंध,
बैंगलोर-560001,

4. श्री ई. के. भारत भूषण
मुख्य सचिव, केरल सरकार,
तिरूवनंतापुरम-695015

5. श्री आनंद प्रकाश (आईएएस)
मुख्य सचिव, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन,
पी. ओ. चंटम, पोर्ट ब्लेयर-744101

6. श्री एच. राजेश प्रसाद (आईएएस)
प्रशासक, लक्ष्यद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र,
कवरती-682555,

7. डा॰ राजीव शर्मा, आईएएस
मुख्य सचिव,
तेलंगाना सरकार,
सी-ब्लॉक, तेलंगाना सचिवलाय दफ्तर,
हैदराबाद- 500002

(डॉ॰ एस. चंद्रशेखर)
सलाहकार

प्रति सूचनार्थ:

1. सचिव (कृषि एवं सहकारिता) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कृषि भवन, नई दिल्ली
2. प्रधान सलाहकार के प्रधान निजी सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार के निजी सचिव, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
4. श्री एस. के. मुखर्जी, सलाहकार (एफई), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
5. श्री अमर सिंह, सलाहकार (समन्वय), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
6. श्री राकेश वर्धन, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र, 341, कृषि भवन, नई दिल्ली- इस अनुरोध के साथ कि वे डेकनेट की साईट पर आदेश को अपलोड करवाएं।

(डॉ॰ एस. चंद्रशेखर)
सलाहकार

2015 मौसम के लिए कोपरा हेतु मूल्य नीति पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट में की गई गैर-मूल्य सिफारिशें तथा तत्पश्चात विभाग के विचार

क्र.सं.	सिफारिश
1.	नोडल एजेंसियों द्वारा कोपरा की प्रभावी खरीद को, अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं, भंडारण हेतु स्थान की कमी और सरकारी खरीद के लिए राज्य एजेंसियों का देर से चयन बाधा पहुंचाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक सार्थक बनाने के लिए आयोग सिफारिश करता है कि खरीद मशीनरी को सुदृढ़ किया जाए। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि खरीद केन्द्र दूर-दराज के क्षेत्रों में शायद ही होंगे, प्रापण संचालन कार्य करने के लिए नारियल उत्पादक समितियों (सीपीएस) तथा नारियल उत्पादक संघों (सीपीएफ) को सशक्त बनाना काफी कारगर सिद्ध होगा।
2.	प्रचलित पद्धति के अनुसार, कोपरा की खरीद प्रचालन एक वर्ष में 90 दिनों तक सीमित है। यह देखते हुए कि नारियल की कटाई पूरे वर्ष की जाती है, आयोग सिफारिश करता है कि इस अवधि को बढ़ाकर छह महीने कर दिया जाए।
3.	नारियल एक बहु उपयोगी उत्पाद है और वाणिज्यिक दोहन की इसमें अपार संभावनाएं हैं। इसके फूलों के रस से बने उत्पाद जैसे नीरा- जो एक अल्कोहल मुक्त पेय है, पाम शुगर, मधु, नारियल के आवरण और जटा से बने उत्पाद आदि की घरेलू तथा वैश्विक बाजार में काफी संभावना हैं। कच्चे नारियल के परम्परागत उत्पादों (कोपरा और नारियल तेल) के स्थान पर नारियल के उत्पादों की मूल्य श्रृंखला को विकसित एवं व्यापक बनाते हुए नारियल के नए मूल्य सवंर्धित उत्पादों से लाभप्रदता बढ़ेगी। यद्यपि, ऐसे नवपरिवर्तनों को शुरू किया गया है, उनको बड़े पैमाने पर समर्थन और अनुकरण करने की आवश्यकता है।
4.	नारियल के उत्पादकता स्तरों को बढ़ा कर उत्पादन लागत को नियंत्रित किया जा सकता है। जिलेवार विश्लेषण के आधार पर, यह उभर कर आता है कि कतिपय जिले जैसे कि पश्चिमी गोदावरी (आंध्रप्रदेश), चित्रदुर्गा (कर्नाटक), मल्लापुरम (केरल) तथा कृष्णागिरी (तमिलनाडु) अपने संबंधित राज्यों के औसत की तुलना में काफी अधिक उत्पादकता स्तर रखते हैं। जबकि ये जिले प्राकृतिक सम्पन्नता के अर्थों में कतिपय लाभान्वित हो सकते हैं, कुछ विभिन्न कृषि पद्धतियों का अनुसरण कर रहे होंगे तथा अच्छे आदानों को अपना रहे होंगे, जिसको अलग से पता लगाने की आवश्यकता है। इस तथ्य को देखते हुए कि भूमि संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, भूमि का सर्वोत्कृष्ट उपयोग किया जाना महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में, इन जिलों का अत्यधिक विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि इन जिलों में कृषि कार्यप्रणाली और आदानों के उपयोग को अन्य जिलों में प्रचारित/अनुसरण किया जा सके। यह उत्पादकता के समग्र स्तरों को बढ़ाने में काफी आगे ले जायेगा।
5.	मुख्य नारियल उत्पादक राज्यों में किसान उत्पादक संगठनों के गठन से बगीचों का बेहतर प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और बेहतर फसल कटाई एवं फसल कटाई उपरांत तकनीकियों को अपनाने को सहजता मिली है जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादकता के स्तरों को बढ़ाने के लिए ऐसे कदमों का बड़े पैमाने पर सतत् रूप से समर्थन और अनुकरण किया जाए।